

## प्रेस नोट थाना बेलघाट दिनांक 24-11-2020

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में जनपद में अवैध कच्ची शराब निष्कर्षण विक्री व रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी), गोरखपुर के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल नेतृत्व में थाना बेलघाट पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.11.2020 को SI श्री राकेश कुमार मय हमराह, का0 विवेक यादव , का0 चन्द्रमा यादव के बिनावर अवैध कच्ची शराब विक्री व निष्कर्षण की रोकथाम हेतु क्षेत्र मे मामूर था कि जरिये मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक अभियुक्त ग्राम बभनौली में मिलावटी देशी कच्ची शराब बेच रहा है । यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है । मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास कर ग्राम बभनौली में हम पुलिसवाले मौके पर पहुँचकर अभियुक्त बिपत पुत्र हरगेन ग्राम बभनौली थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर उम्र 45 वर्ष को एक जरिकैन में करीब 20 ली0 अपमिश्रीत कच्ची शराब व एक प्लास्टिक में 300 ग्राम नौसादर के साथ जेर निगरानी जेर हिरासत हमराहीगणो के लेकर उपस्थित थाना आया । जिसे गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता

बिपत पुत्र हरगेन ग्राम बभनौली थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर उम्र 45 वर्ष

### अपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 -801/2020धारा -60आब0अधि0व 272 भादवि0 थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम

1. 30नि0 श्री राकेश कुमार –थाना बेलघाट गोरखपुर
2. का0 विवेक यादव- थाना बेलघाट गोरखपुर
3. चन्द्रमा यादव - थाना बेलघाट गोरखपुर